न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर, आई.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 40/2022
जीसीएमएस : 2022/515

1. तेजा सिंह पुत्र रूप सिंह जाति जटसिख निवीस 83 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. कोजाराम पुत्र रावताराम जाति नायक निवासी भादवांवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. अजय कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी 4/6 शंकर कॉलोनी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0
3. राजपाल पुत्र बलराज जाति जाट निवासी भादंवावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0
4. गुडडी देवी पत्नी मनीराम जाति नायक निवासी भादंवावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0................(मृतक)

   4/1. सुखराम पुत्र गुडडी देवी पत्नी मनीराम जाति नायक निवासी भादंवावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0

   4/2. माया पत्नी बृजलाल पुत्री गुडडी देवी पत्नी मनीराम जाति नायक निवासी भादंवावाला तहसील रायसिंहनगर हाल सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. मनीराम पुत्र जगननाथ जाति नायक निवासी भादंवावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0
6. राकेश कुमार पुत्र भागीरथ जाति नायक निवासी मकान नं. 0 रिधि सिधी कॉलोनी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र भादू, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मदन सिंह चारण, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1,4/1,4/2,5,6
3. सुश्री मीरा देवी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3
4. एकपक्षीय अप्रार्थी सं. 2

–: निर्णय :–

दिनांक : 20.06.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. प्रार्थी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि चक 81 आरबी के मु.नं. 13 प.नं. 228/270 के कि.नं. 1 ता [illegible] कुल 2.151है. नहरी भूमि में पंहुचने के प्रयाजनार्थ अप्रार्थीगण की भूमि चक [illegible] आरबी के मु.नं. 34 प.नं. 229/272 कि.नं. 1,2/1,2/2,3ता5 व मु.नं. 35 [illegible] 230/272 कि.नं. 1/1,2/1, 3/1,4/1,5/1 व मु.नं. 36 [illegible] 231/272 [illegible] कि.नं. 1 ता 5 व मु.नं. [illegible] 232/272 कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025है. [illegible] रास्ता स्वीकृत करने हेतु [illegible] किया। प्रार्थी निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता व अप्रार्थीगण 1 ता 6 द्वारा अपने जीवनकाल में आज से करीब 40–50 वर्ष से रास्ता चला आ रहा हैं। रास्ता घरेलू तौर पर सभी पक्षों को आने जाने के लिए दिया हुआ था। अब अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 ने दिनांक 10.10.2022 को रोबरू गवाहान धमकी दी कि उक्त रास्ता बंद करेंगे और आने जाने से रोकेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.06.27 11:10:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1,3,4 / 1,4 / 2,5,6 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध दिनांक 23.01.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 3 जवाब पेश कर निवेदन किया कि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो इसमें अप्रार्थी की सहमति है कोई आपति नहीं हैं। प्रार्थी का आवेदन स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

3. अप्रार्थी सं. 1,4 / 1–4 / 2,5,6 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 4–5–6 की भूमि चक 81 आरबी मु.नं. 37 में अप्रार्थी सं. 1 की मु.नं. 34 में भूमि होना स्वीकार हैं। अप्रार्थीगण के मुरब्बे में कोई भी रास्ता स्वीकार नहीं हैं, लेकिन अप्रार्थी सं. 1 कोजाराम के मुरब्बे में कि.नं. 1 से 5 व 5 से 25 में खाला होना स्वीकार हैं प्रार्थी के खेत में खाला बना हुआ है व अप्रार्थी सं. 5 मनीराम के खेत में से नहर गुजरती है जिससे अप्रार्थी सं. 5 का काफी हिस्सा नहर में चला गया। अप्रार्थीगण के मुरब्बे में से चक 83 आरबी जाने के लिए कभी भी रास्ता नहीं चलता था। यह प्रकरण प्रार्थी ने गलत रूप से लिखाये है, प्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति है, अप्रार्थीगण गरीब व अनुसूचित जाति के काश्तकार है। मु.नं. 13 के अन्य काश्तकारान के साथ से ही प्रार्थी का रास्ता स्वीकृत हैं और अन्य काश्तकार के साथ ही प्रार्थी का आना जाना रहा है। प्रार्थी की पत्थर लाईन अलग है और अप्रार्थीगण की पत्थर लाईन अलग है। न्यायालय प्रार्थी को रास्ता देना उचित समझता है तो उसकी पत्थर लाईन से ही स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थीगण के पास अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए भूमि में से रास्ता स्वीकृत ना किया जावे।

राज्य सरकार की यह पॉलिसी है कि प्रत्येक काश्तकार को रास्ता पंचायत मुख्यालय व पटवार मुख्यालय तक आने जाने का है जो कि प्रार्थी के पास उपलब्ध हैं। प्रार्थी परेशान करने के लिए दूसरा स्वीकृत करवाना चाहता है। यह रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण को भारी आर्थिक नुकसान होगा। सरकार की नीति काश्तकार को अपने खेत तक आने जाने तक रास्ता उपलब्ध करवाने की है, लेकिन यह नीति नहीं है कि प्रत्येक काश्तकार अपने पंचायत मुख्यालय व पटवार मुख्यालय के अलावा प्रत्येक काश्तकार के अलग अलग पटवार व पंचायत मुख्यालय के अलावा रास्ता उपलब्ध करवाने की नहीं है, जैसे एक चक के लोगो को सामुहिक रास्ता उपलब्ध है तो उसके प्रत्येक काश्तकार को अलग अलग रास्ता अलग अलग चको के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा, जैसे यह जमीन चक 81 आरबी है इन काश्तकारों को रास्ता उपलब्ध है, लेकिन इस चक के काश्तकारो को अलग अलग 83 आरबी, 85 आरबी के लिए अलग अलग रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे तो अन्य काश्तकारों को अनावश्यक परेशानी पैदा होगी व बिना किसी उचित कारण के विवाद ... रास्ता उसी मुरब्बा के अन्य काश्तकारान के साथ आना जाना ... स्वीकृत रास्ता उसके पास उपलब्ध है, फिर भी दूसरा रास्ता ... के लिए स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र खारिज करने ... किया जावे।

4. प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच ... तलब की गयी। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक / राजस्व / 2023 / 591 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार प्रार्थी की भूमि 81 आरबी में है तथा निवास 83 आरबी में है। प्रार्थी अपने निवास स्थान 83 आरबी से पक्की सड़क से चक 81 आरबी के मु.नं. 37–36–35–34 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025–0.025है. रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता हैं। प्रार्थी ग्राम 83 आरबी से वाया चक 74 आरबी के रकबे में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.06.27 11:10:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

होते हुए आबादी ग्राम 74 आरबी से चक 81 आरबी के मु.नं. 1–2–3–4 प्रत्येक के कि.नं. 21 से 25 में स्वीकृतशुदा रास्ते से अपने खेत में पंहुचता है अथवा चक 83 आरबी से वाया 82 आरबी ग्राम भादवांवाला होते हुए स्वीकृतशुदा रास्ते से होते हुए मु.नं. 19 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में चालू रास्ता से अपने खेत में आवागमन करता है। जिसकी दूरी काफी अधिक है। प्रार्थी के खेत को स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता हैं। प्रार्थी के निवास स्थान चक 83 आरबी से अपने खेत में जाने हेतु चाला गया रास्ता निकटतम दूरी पर हैं। अप्रार्थीगण मु.नं. 34 व 37 खातेदारान द्वारा भूमि के बदले रास्ता देने हेतु मौखिक सहमति दी हैं।

5. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा वैकल्पिक मार्ग नहीं हैं। प्रार्थी को रास्ता की अति आवश्यक्ता हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 3 रास्ता स्वीकार करने के लिए निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1,4/1–4/2,5,6 अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी के एवं मु.नं. 13 के अन्य काश्तकारान को पहले से ही रास्ता उपलब्ध हैं, उनके निवास स्थान एवं पंचायत मुख्यालय के लिए पृथक से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता हैं। अप्रार्थीगण गरीब अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। अप्रार्थीगण के पास उक्त भूमि ही मात्र आजीविका का साधन हैं। यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं तो अप्रार्थीगण को आर्थिक हानि होगी। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने के लिए निवेदन किया।

6. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अबलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर अनुसार प्रार्थी की भूमि को कोई स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं लगता हैं। वांछित रास्ता ही प्रार्थी के निवास स्थान से निकटतम दूरी पर हैं। वर्तमान में प्रार्थी जिन वैकल्पिक मार्गों से अपनी भूमि में प्रवेश करता हैं उनकी दूरी काफी अधिक हैं। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर के साथ प्रस्तुत मौका नक्शा का गहनता से अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्टतया जाहिर है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही गांव 83 आरबी एवं आबादी 83 आरबी को जा रहे गै.मु. स्वीकृतशुदा रास्ता से निकटतम दूरी पर हैं। चूंकि प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग का अभाव है एवं प्रार्थी की रास्ता की आवश्यक्ता आत्यंतिक आवश्यक्ता की श्रेणी की हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं।

–: क्रियान्वयन आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थीगण की भूमि चक 81 आरबी के मु.नं. 37–36–35–34 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025–0.025है. गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया [illegible] प्रार्थी अप्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की रास्ता में आई भूमि की [illegible] डी.एल.सी. दर की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार [illegible] प्रतिकर राशि जमा कर नियमानुसार अप्रार्थीगण को उनके अंश अनुसार भुगतान कर एवं स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.06.27 11:10:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.06.2023 को लिखाया जाकर मजमा ए आम में सुनाया गया।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर